

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 20 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामअवतार पुत्र रमायन निवासी बभनौली थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 24 /2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता रामू पुत्र रघुराई निवासी बनकसिया थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेहदावल पर मु0अ0सं0 15 2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया ।

1 किलो 300 ग्राम अवैध गांजा के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

संदिग्ध व्यक्ति एव वस्तुओं एवं वाहनों की चेकिंग के दौरान थाना बखिरा पुलिस द्वारा 1 किलों 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ 01 अभियुक्त नाम पता मुन्नन उर्फ शकील पुत्र तफज्जुल निवासी दुर्गजोत थाना बखिरा को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 15 / 2021 धारा 8 / 20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

जनपद पुलिस द्वारा 01 वारण्टी गिरफ्तार

थाना मेहदावल पुलिस द्वारा 01 वारण्टी नाम पता संतोष सिंह पुत्र लाल सिंह उर्फ रामचन्द्र सिंह निवासी उत्तर पट्टी थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार

● थाना धनघटा पुलिस द्वारा 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 0 3 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3311 द्वारा जमीनी विवाद / मारपीट में घायल महिला को पहुंचाया अस्पताल –

पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 10535 से कालर ने जमीन को लेकर दो पक्षों में मारपीट / विवाद में एक महिला के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर मारपीट में घायल हुई महिला को इलाज हेतु जरिए एम्बलेंस से प्रा०स्वा० केन्द्र मलौली भेजवाया गया तथा थाना धनघटा को बताया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद को शांत कराकर एवं मारपीट में घायल हुई महिला को अस्पताल पहुंचाकर एक बड़ी घटना घटित होने से बचा लिया गया, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ –मु०आ० मंगला सिंह यादव, हो०चा० राजेश कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 72 वाहनो से 56000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 12.01.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 72 वाहनो से 56000 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।